राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

प.4(236)वित्त–1(1)आ.व्यय/2010/ जयपुर, दिनांक: 06.03.2012

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या – 687/2011–12)

विषयः–तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में जिला परिषद/पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(13) परावि/ले.ब./ते.वि.आ./11–12/6314 दि. 06.03.2012 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रू. 3517.05 लाख (अक्षरे रू. पैंतीस करोड सत्तरह लाख पांच हजार) मात्र निम्न बजट मद से संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित कर दी जावे ।

–: व्यय निम्नानुसार विकलेय है :–

मांग सं. 41 — राशि लाख रू. में

बजट मद

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
196– जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचाायतों को सहायता
(13)– तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत जिला परिषदों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान
[02]– कार्यकलाप / गतिविधियां
12– सहायतार्थ अनुदान (आयोजना–भिन्न) संलग्न सारणी "अ" के अनुसार 703.41

2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
197– ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचाायतों को सहायता
(07)–तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायत समितियों के लिए सामान्य बुनियादी अनुदान
[02]–कार्यकलाप / गतिविधियां
12– सहायतार्थ अनुदान (आयोजना–भिन्न) संलग्न सारणी "ब" के अनुसार 2813.64

कुल योग 3517.05

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृति का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना भिन्न दर्शाते हुए अंकित किया जावें ।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा ।

भवदीय
06.03.12
(सुधीर शर्मा)
उप शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकर, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. उप शासन सचिव वित्त (व्यय–5) विभाग।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त ।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त ।
6. लेखाकार, वित्त (बजट) विभाग ।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर शाखा ।
8. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव, वित्त (बजट)